

सामुदायिक शौचालय का क्रियान्वयन :-

जनपद की समस्त ग्राम पंचायतों के सामुदायिक शौचालयों के संचालन का दायित्व स्वयं सहायता समूह का शौंपा गया है। प्रत्येक सामुदायिक शौचालय में एक केयर टेकर की रु० 6000/प्रतिमाह पर नियुक्ति की गयी है तथा सामुदायिक शौचालय की साफ-सफाई की सामग्री हेतु रु० 3000/प्रतिमाह ग्राम पंचायत द्वारा नियुक्त समूह के खाते में हस्तान्तरण किया जाते हैं, जिससे सफाई सामग्री क्रय की जाती है। प्रतिमाह प्रत्येक सामुदायिक शौचालय का सत्यापन किया जाता है। जिसमें सामुदायिक शौचालय प्रतिदिन खुलने, जलापूर्ति की व्यवस्था, सफाई सामग्री की उपलब्धता एवं केयर टेकर की उपस्थिति का सत्यापन किया जाता है। सत्यापन के दौरान कोई कमी पायी जाती है तो उसका निस्तारण एवं मरम्मत का कार्य तैनात सचिव, ग्राम पंचायत के माध्यम से ठीक कराया जाता है।